



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 109(62 / 2024)

दर्ज तिथि:-04.04.2024

1. विरधाराम पुत्र कोहलाराम
जाति विश्णोई निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अरजन पुत्र ठाकराराम
2. पूनमाराम पुत्र ठाकराराम
3. नारायणलाल पुत्र ठाकराराम फौत के कायम मुकाम
3/1 दिनेश कुमार पुत्र नारायणलाल
3/2 सुरेश कुमार पुत्र नारायणलाल
3/3 सिणगारी पत्नी नारायणलाल
4. पांचाराम पुत्र ठाकराराम
5. सदराम पुत्र ठाकराराम
6. रूखमणी पत्नी ठाकराराम
7. भाखराराम पुत्र जीयाराम फौत के कायम मुकाम
7/1 मलाराम पुत्र भाखराराम
7/2 उदाराम पुत्र भाखराराम
7/3 पुरखाराम पुत्र भाखराराम
7/4 तुलछी पत्नी भाखराराम
8. डुंगराराम पुत्र जीयाराम
9. किसनाराम पुत्र रामूराम
10. गोस्धनराम पुत्र रामूराम
11. भागीस्थराम पुत्र रामूराम
12. श्रवणराम पुत्र रामूराम
13. चतरू पत्नी रामूराम
14. जूंजाराम पुत्र भीयाराम
15. मीरा पत्नी भीयाराम
16. विरधाराम पुत्र हरजीराम
17. गोकलाराम पुत्र हरजीराम
18. सुरताराम पुत्र हरजीराम



19. नवलाराम पुत्र हरजीराम
जाति विश्नोई निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
20. खंगाराराम पुत्र हीराराम
जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादीगण
21. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी।
22. तहसीलदार गुड़ामालानी।
.....तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:-श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादी:-राजीनामा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

—:निर्णय:—

निर्णय तिथि:-17.03.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् इस्तकराहक अन्तर्गत धारा-88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वाद पत्र का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड आराजी हाल खसरा संख्या 786/17.0291 है0, 805/3.2618 है0 मौजा खिचड़ों का वास पटवार हल्का बाण्ड तहसील नोखड़ा, खसरा संख्या 840/9.1054 है0 मौजा खडियाली नाडी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। उक्त आराजी वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 05 के दादा तथा प्रतिवादी संख्या 06 के दादा ससुर कोला उर्फ कोहला की खातेदारी आराजी थी। खातेदार कोला उर्फ कोहला की विरासत अनुसार ठाकराराम पुत्र कोला उर्फ कोहला एवं विरधाराम पुत्र कोला उर्फ कोहला के हिस्से खातेदारी दर्ज हुई। इस प्रकार उक्त खातेदारी आराजी पैतृक आराजी है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत हिन्दू के अंतर्गत आने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त पैतृक आराजी में अपना हिस्सा निहित रखते हैं। इसी अनुसार वादी वर्तमान में मौके पर काबिज काश्त है। मुतनाजा आराजी वक्त सेटलमेंट वादी व प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता व पति ठाकराराम का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्से पर कब्जा काश्त था। जिसमें विरधाराम व ठाकराराम का एक समान 1/4 हिस्से में 1/2-1/2 हिस्सा अर्थात्त सम्पूर्ण रकबे का 1/8-1/8 हिस्सा खातेदारी का था। ऐसी स्थिति में पर्चा लगान एकसमान 1/4 हिस्से का विरधाराम एवं ठाकराराम के नाम पारित किया जाना था। परंतु सेटलमेंट अधिकारियों के भूलवश मुतनाजा आराजी पर केवल ठाकराराम के नाम सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा का पर्चा लगान जारी किया गया। जबकि वक्त सेटलमेंट रिकॉर्ड अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता व पति ठाकराराम के नाम संयुक्त रूप से पर्चा लगान जारी किया जाना था। अतः मुतनाजा आराजी पर वक्त सेटलमेंट से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता व पति ठाकराराम का 1/2-1/2 हिस्सा होने के आधार पर वादी को विवादग्रस्त आराजी पर 1/8-1-8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर

प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 व 06 के अतिरिक्त शेष प्रतिवादीगण के बावजूद रजिस्टर्ड तामिल अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 01 व 06 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत किया निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 हिन्दु विधि से शासित हैं। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता व पति ठाकराराम दोनों सगे भाई हैं। लेकिन वक्त सेटलमेंट के समय वादग्रस्त खसरान में लिपिकीय त्रुटि से प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता, दादा एवं पति ठाकराराम अकेले का नाम दर्ज हो गया था। जबकि वक्त सेटलमेंट से आदिनांक तक वादग्रस्त आराजी पर विरधाराम एवं ठाकराराम का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। आगे कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता, दादा एवं पति के 1/4 हिस्से में वादी विरधाराम को बराबर हिस्से का सहखातेदार अर्थात् ठाकराराम का 1/8 हिस्सा व वादी विरधाराम का 1/8 हिस्सा घोषित किया जावे तो प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 को कोई आपत्ति नहीं है।
3. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत / विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	खाता संख्या 53 संवत 2075-78	प्रदर्श-01
जमाबंदी	खाता संख्या 69 संवत 2075-78	प्रदर्श-02
जमाबंदी	खाता संख्या 51 सम्वंत 2075-78	प्रदर्श-03
जमाबंदी	खतौनी बन्दोबस्त मौजा बाण्ड	प्रदर्श-04
जमाबंदी	खाता संख्या 3 सम्वंत 2074-2077	प्रदर्श-05
जमाबंदी	खाता संख्या 9 सम्वंत 2075-78	प्रदर्श-06
जमाबंदी	खतौनी बंदोबस्त मौजा गरवों का गोलिया	प्रदर्श-07

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
विरधाराम पुत्र कोहलाराम	विश्वोई	गोलिया गर्वा	पी0डब्ल्यू-1
डुंगराराम पुत्र जीयाराम	विश्वोई	गोलिया गर्वा	पी0डब्ल्यू-2
विरधाराम पुत्र हरजीराम	विश्वोई	गोलिया गर्वा	पी0डब्ल्यू-3
भाखराराम पुत्र मंगलाराम	विश्वोई	गोलिया गर्वा	पी0डब्ल्यू-4

5. पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए मुतनाजा आराजी पर वक्त सेटलमेंट से वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता व पति

ठाकराराम का 1/2-1/2 हिस्सा होने के आधार पर वादी को विवादग्रस्त आराजी पर 1/8-1-8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी को वादी की खातेदारी आराजी पर दखलअंदाजी करने से रोकने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया।

6. मैंने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा दो निम्न अनुतोष निवेदित किये हैं:-
 1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के साथ वादी को 1/8 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे।
 2. वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार का परिवर्तन, हस्तक्षेप व बेचान, रहन नहीं करने/कराने तथा राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे।
7. पत्रावली पर अनुतोषवार विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। सर्वप्रथम अनुतोष संख्या 01 जो कि निम्न प्रकार है:-
 1. वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के साथ वादी को 1/8 हिस्से का सहखातेदार घोषित किया जावे।
8. प्रकरण में प्रथम अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 से संबंधित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-

15. Khatedar tenants— (1) *Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956) or who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*

Provided that no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.

(2) *Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in*

furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:

(a) that the land held by him was let out to him after the commencement of this Act.

(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).

(c) that when the land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.

(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application, declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (1).

7. उक्त उद्धरण अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रभाव की दिनांक 15.10.1955 के दिन से जो काश्तकार जितने रकबे पर काबिज काश्त है। उसको समानुपातिक रकबे के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैं। प्रकरण में वादी द्वारा वक्त सेटलमेंट से अपने कब्जे की आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही गई है। इस संबंध में प्रदर्श संख्या-04 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विरधाराम का हिस्सा खतौनी बंदोबस्त ग्राम बाण्ड में अंकित नहीं किया गया है। साथ ही प्रदर्श संख्या-07 खतौनी बंदोबस्त ग्राम गरवों का गोलिया के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी विरधाराम व ठाकराराम का 1/2 हिस्से में बराबर हिस्सा अंकित है। चूंकि वक्त सेटलमेंट में हुई लिपिकीय त्रुटि से जमाबंदी में हिस्सा दर्ज नहीं होने एवं काश्तकार के मौका पर काबिज होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 में प्रावधान बनाये गये हैं। प्रकरण में वादी का वक्त सेटलमेंट की जमाबंदी में हिस्सा दर्ज नहीं किया गया था। परंतु वादी वक्त सेटलमेंट से आदिनांक तक मुतनाजा आराजी पर काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करता आ रहा है। इसके संबंध में प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 द्वारा भी उक्त तथ्य को

स्वीकार किया है कि वादी का मुतनाजा आराजी पर कब्जा काश्त है एवं वादी के रहवासी मकान एवं अन्य अलामात उक्त आराजी पर बने हुए हैं। वादी को मुतनाजा आराजी पर 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किये जाने हेतु प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 द्वारा सहमति व्यक्त की गई है। साथ ही पी.डब्ल्यू.-01 ता पी.डब्ल्यू.-04 द्वारा भी इस तथ्य की पुष्टि की है कि उक्त आराजी पर वादी काबिज होकर निर्बाध रूप से काश्त करता आ रहा है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उक्त आराजी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 के पिता, दादा एवं पति ठाकराराम की सामलाति कब्जे काश्त की आराजी थी। परंतु वक्त सेटलमेंट लिपिकीय त्रुटि से वादी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है। अतः वादी उक्त अविभाजित आराजी पर काबिज काश्त होने एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर अपना हिस्सा घोषित करवाकर पृथक हिस्सा कायम करवाने हेतु घोषणा एवं विभाजन का दावा लाकर घोषणा एवं विभाजन करवाने का अधिकारी है।

8. प्रकरण में वादी द्वारा मुतनाजा आराजी पर वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्सानुसार काबिज होकर काश्त करने एवं वक्त सेटलमेंट लिपिकीय त्रुटि से वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नहीं होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के प्रावधानों के तहत मुताबिक कानूनी हिस्सा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के तहत वादी का वादवर्णित आराजी पर वक्त सेटलमेंट से कब्जा काश्त होने, प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 की सहमति एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड एवं साक्ष्य के आधार पर वादी का अनुतोष मुताबिक राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-15 के प्रावधानों के तहत हक हिस्से तक स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
9. प्रकरण में द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने

वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।
10. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की पैतृक सामलाति कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 786/17.0291 है0, 805/3.2618 है0 मौजा खिचड़ों का वास पटवार हल्का बाण्ड तहसील नोखड़ा, खसरा संख्या 840/9.1054 है0 मौजा खडियाली नाडी तहसील नोखड़ा में अवस्थित है। प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। परंतु राजस्व रिकॉर्ड में संयुक्त खातेदारी होने से वादी के किसी निश्चित भू-भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में कथन किया जाना कानूनन अनुचित है। इस कारण मुतनाजा आराजी पर वादी की संयुक्त खातेदारी आराजी होने के कारण वादी के किसी निश्चित भू-भाग पर बिना विधिक विभाजन करवाये कब्जे के बारे में संशय होने के कारण सुविधा व न्याय का संतुलन वादी के पक्ष में होना स्पष्ट नहीं है। अंत में प्रार्थी को अपूरणीय क्षति साबित करने से पूर्व संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाया जाना अपरिहार्य शर्त है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध संयुक्त आराजी का विधिक विभाजन करवाये बिना स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः

आदेश है कि

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है।

वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 786/17.0291 है0, 805/3.2618 है0 मौजा खिचड़ों का वास पटवार हल्का बाण्ड तहसील नोखड़ा, खसरा संख्या 840/9.1054 है0 मौजा खडियाली नाडी तहसील नोखड़ा में 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में 1/8 हिस्से का संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत् राजस्व इंड्राज दुरुस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

निर्णय की पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाये। राजीनामा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

आज 17.03.2025 यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।



(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाङमेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2024 / 109(62 / 2024)

दर्ज तिथि:-04.04.2024

1. विरधाराम पुत्र कोहलाराम
जाति विश्णोई निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. अरजन पुत्र ठाकराराम
2. पूनमाराम पुत्र ठाकराराम
3. नारायणलाल पुत्र ठाकराराम फौत के कायम मुकाम
3/1 दिनेश कुमार पुत्र नारायणलाल
3/2 सुरेश कुमार पुत्र नारायणलाल
3/3 सिणगारी पत्नी नारायणलाल
4. पांचाराम पुत्र ठाकराराम
5. सदराम पुत्र ठाकराराम
6. रूखमणी पत्नी ठाकराराम
7. भाखराराम पुत्र जीयाराम फौत के कायम मुकाम
7/1 मलाराम पुत्र भाखराराम
7/2 उदाराम पुत्र भाखराराम
7/3 पुरखाराम पुत्र भाखराराम
7/4 तुलछी पत्नी भाखराराम
8. डुंगराराम पुत्र जीयाराम
9. किसनाराम पुत्र रामूराम
10. गोस्धनराम पुत्र रामूराम
11. भागीस्थराम पुत्र रामूराम
12. श्रवणराम पुत्र रामूराम
13. चतरू पत्नी रामूराम
14. जूंजाराम पुत्र भीयाराम
15. मीरा पत्नी भीयाराम
16. विरधाराम पुत्र हरजीराम
17. गोकलाराम पुत्र हरजीराम
18. सुरताराम पुत्र हरजीराम

19. नवलाराम पुत्र हरजीराम
जाति विश्नोई निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
20. खंगाराराम पुत्र हीराराम
जाति विश्नोई निवासी खिचड़ों का वास बाण्ड तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर
.....असल प्रतिवादीगण
21. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुड़ामालानी।
22. तहसीलदार गुड़ामालानी।
.....तकमिली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादी:-श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादी:-राजीनामा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-88, 188
राजस्थान काश्तकारी अधि0-1955

—:पर्चा डिक्री:-

वादी का दावा बाबत इस्तकरारहक्क आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। वादी को मुतनाजा आराजी हाल खसरा संख्या 786/17.0291 है0, 805/3.2618 है0 मौजा खिचड़ों का वास पटवार हल्का बाण्ड तहसील नोखड़ा, खसरा संख्या 840/9.1054 है0 मौजा खडियाली नाडी तहसील नोखड़ा में 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। वादीगण को उक्त आराजी में 1/8 हिस्से का संयुक्त खातेदार दर्ज होने बाबत राजस्व इंड्राज दुरुस्त करवाने का अधिकारी घोषित किया जाता है।

यह पर्चा-डिक्री पालनार्थ हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवाई जावें। आदेश जारी हो। पक्षकारान अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

यह पर्चा-डिक्री आज दिनांक 17.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाई जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी की जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुड़ामालानी-बाड़मेर